

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत अपराध प्रकरण  
एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम - 1  
(राष्ट्रीय लोक अदालत बैच नं० ..... 2.....)

सरकार बनाम जयपुर प्रक.सं. 141/26  
थाना विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना बून्दी जिला बून्दी  
अपराध अन्तर्गत धारा:- 135 विद्युत अधिनियम 2003


दिनांक:- 14-3-26

115/26


2/11/14

पत्रावली आज लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। परिवादी की ओर से अधि० अभियन्ता (अ-प्रथम) जयपुर डिस्कॉम बून्दी उपस्थित। अभियुक्त .....

अधिवक्ता उपस्थित। परिवादी पक्ष की ओर से बताया गया कि आरोपी द्वारा प्रकरण की राजीनामा योग्य राशि जमा कराई जा चुकी है। अतः वे अभियुक्त के विरुद्ध धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि अभियुक्त एवं परिवादी पक्ष आज राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा करना चाहते हैं। अतः अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152(2) व (3) के तहत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
बून्दी (राज०)  
बैच सं०..... 2.....

  
सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
बून्दी (राज०)  
बैच सं०..... 2.....

  
थानाधिकारी  
विद्युत चोरी निरोधक पुलिस  
थाना बून्दी (राज.)

  
Executive Engineer (Dtu-1)  
J.V.V.N.L. Bundi